उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 28/2021/165प्र0स0/92-2-2021-20एम/2019

लखनऊ :: दिनांक:: 21 जून 2021

**कार्यालय-ज्ञाप**

जनपद-सुलतानपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सांसद निधि/विधायक निधि योजनान्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो की प्रगति कम पाये जाने, निर्माण कार्यो के प्रति शिथिल नियंत्रण, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण व जिलाधिकारी से निर्माण कार्यो के प्रति तालमेल का अभाव एवं संवादहीनता आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1176/92-2-2019-20एम/2019 दिनांक 31-07-2019 द्वारा श्री अशोक, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति प्रखण्ड-इटावा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अयोध्या को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अयोध्या के पत्र सं0-3820/ ग्रा0अ0वि0/जांच अभि0/पत्रा0सं0-6/2019-20 दिनांक 31-12-2019 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी श्री अशोक पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से सभी आरोप स्थापित होना पाया गया। तदक्रम में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 03.01.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री अशोक का अभ्यावेदन मॉगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 16.05.2020 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसके सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के पत्र दिनांक 06.07.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व जॉच अधिकारी की जॉच आख्या निदेशक एवं मुख्य अभियंता को प्रेषित करते हुये प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में अभिमत मॉगा गया। निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 05.04.2021 के द्वारा श्री अशोक, तत्का0 अधिशासी अभियंता के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में निदेशक एवं मुख्य अभियंता ने आरोप सं0-1, 2, 3 को प्रमाणित तथा आरोप सं0-4 को प्रमाणित नही पाया है।

3- जॉच अधिकारी की जॉच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री अशोक के विरूद्ध अधिरोपित आरोप जो किसी शासकीय क्षति से संबंधित नही है किन्तु आरोप संख्या-1, 2 व 3 उनके द्वारा निर्माण कार्यो में बरती गयी उदासीनता, दायित्वों का भली-भॉति निर्वाहन न करने हेतु की गयी लापरवाही तथा अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण हेतु उन्हें दोषी पाया गया है। अत: श्री अशोक, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति प्रखण्ड-इटावा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1176/92-2-2019-20एम/2019 दिनांक 31-07-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

**"श्री अशोक, तत्का0 अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति प्रखण्ड-इटावा द्वारा निर्माण कार्यो में बरती गयी उदासीनता, दायित्वों का भली-भॉति**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**निर्वाहन न करने हेतु की गयी लापरवाही तथा अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण के लिये उन्हें परिनिन्दित किया जाता है।"**

श्री राज्यपाल के आदेश से,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

**संख्या-28/2021/165प्र0स0(1)/92-2-2021 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

**2-** श्री अशोक, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति प्रखण्ड-इटावा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( रमाकान्त शुक्ल )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।